राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1641/2013/जयपुर

मैसर्स शिवाल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स,
76–नरेन्द्र नगर, न्यू सोडाला रोड, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
कार्य संविदा एवम् पट्टा कर,–तृतीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अशोक हंसारिया –अभिभाषक। ..... अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 03.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2013 जो अपील संख्या–234/अ.प्रा.–II/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहार द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् पारित परिशोधन आदेश दिनांक 19.09.2012 की पुष्टि अपीलीय अधिका द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। अपीलार्थी व्यवहारी को मैसर्स महिमा रियल एस्टेट प्रा.लि., 8, निखिल अपार्टमेंट, 670, आदर्श नगर, जयपुर (जिसे आगे "अवार्डर" कहा जायेगा) के मध्य दिनांक 26.09.2007 को हुये करार के तहत् अवार्डर द्वारा चलाये गये प्रोजक्ट "महिमा पेनोरामा" के अन्तर्गत कार्य आदेश के जरिये "महिमा पेनोरामा की 17 टॉवर का निमर्ण कार्य" का संविदा कार्य रू.6514,97,261/– प्रदान किया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवार्डेड संविदा कार्य हेतु कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रपत्र WT-1 में निर्धारण अधिकारी को समयावधि में आवेदन किये गये। निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये उक्त संविदा कार्यों को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 में निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 1.5 प्रतिशत (रू. 97,72,459/–) हेतु Exemption Certificate दिनांक 14.11.2007 को जारी किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी

व्यवहारी व अवार्डर के मध्य पुनः पूर्व में दिनांक 26.09.2007 को हुये करार के तहत् ही एक पूरक (Supplementary) संविदा करार दिनांक 01.02.2012 को हुआ जिसके तहत् अवार्डर द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कार्य संविदा रू. 980,02,739/– प्रदान किया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवार्डेड संविदा कार्य हेतु कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रपत्र WT-1 में व प्राप्त कार्यादेश की दिनांक से 60 दिवस के अंदर प्रस्तुत नहीं करने के कारण देरी को कण्डोन करने हेतु गय वालान रू. 1000/– के निर्धारण अधिकारी को आवेदन किया गया। निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये उक्त संविदा कार्य को मुक्ति शुल्क की दर 3 प्रतिशत (रू. 29,40,082/–) हेतु **Exemption Certificate** कमांक 6/47 दनांक 23.04.2012 को जारी किया गया। उक्त के विरूद्ध अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, अपीलार्थी व्यवहारी का संविदा कार्य अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के अन्तर्गत भवन निर्माण से सम्बन्धित होने से प्रविष्ठि संख्या 2 से कवर्ड होने के आधार पर उक्त कार्य पर 1.5 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस की देयता मानते हुये, जारी **Exemption Certificate** को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी। निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर, परिशोधन आदेश दिनांक 19.09.2012 पारित किया गया। उक्त पारित परिशोधन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 व अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 के आलोक में, प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारास यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अविधिक होने का कथन कर तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी को अवार्डर से हुये मूल करार दिनांक 14.11.2007 में विस्तार दिनांक 01.02.2012 को हुआ जो राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 से पूर्व ही निष्पादित हुआ। इस संबंध में विशिष्ट रूप से कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी व अवार्डर के मध्य हुये मूल करार के तहत् निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में, 1.5 प्रतिशत की दर से जारी किया गया अतः

विस्तार के तहत् निष्पादित हुये करार व अपीलार्थी व्यवहारी को प्राप्त हुआ कार्यादेश के कम में निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र भी 1.5 प्रतिशत कीदर से ही जारी किया जाना चाहिये जबकि निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत की दर से जारी किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि इस संबंध में जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र को परिशोधित करने हेतु अधिनियम की धारा 33 के तहत् परिशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया एवम् उक्त की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, तद्नुसार निर्धारण अधिकारी को 1.5 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति पात्रता पत्र जारी करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया।

(i) मयूरी ईस्ट इण्डिया प्रा.लि. बनाम् यू.पी. राज्य व अन्य सिविल अपील कमांक 2720/2008 (सु.को.)

(ii)डिवीजनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम् बेहरागत मिनरल इण्डस्ट्रीज 120 एस.टी.सी. 205 (सु.को.)

(iii)रा.वा.क.अ. हनुमानगढ़ बनाम् मैसर्स भिडानी उद्योग, एस.बी. सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन कमांक 54/2009 निर्णय दिनांक 16.02.2009 (राज.)

(iv)मैसर्स जी.टी. कम्प्यूटर हार्डवेयल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रा.लि. बनाम् राजस्थान राज्य एरा.बी. सिविल रिट पिटीशन कमांक 12033 से 12035, 12037 व 12038/2012/2009 निर्णय दिनांक 23.08.2012 (राज.)

(v)सहायक आयुक्त विशेष वृत्ताद्व राजस्थान जयपुर बनाम् मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. जयपुर अपील संख्या 164 व 165/2009/जयपुर निर्णय दिनांक 04.03.2010 (आर.टी.बी.)

(vi)वा.क.अ., कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा बनाम् मैसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कं., रावतभाटा अपील संख्या 1743/2008/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 17.03.2011 (आर.टी.बी.)

5. यही नहीं पारित अपीलीय आदेश को भी अविधिक होने को कथन कर तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किये गये पूरक कार्यादेश के लिये कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रपत्र WT-I में निर्धारण अधिकारी को आवेदन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 में निर्देशित 60 दिवस के अंदर प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्धारित शुल्क रू.1000/- राजकोष में जमा करवाये गये थे। अतः उक्त जारी अधिसूचना के तहत् ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त किया गया संविदा कार्य 1.5 प्रतिशत की दर से

ही मुक्ति शुल्क होना अपेक्षित है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 को जारी की गयी है । अतः उक्त प्राप्त किया गया कार्यादेश व अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त हेतु कर मुक्ति के लिये प्रस्तुत आवेदन उक्त संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 से पूर्व किया गया है। विशिष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के बिन्दु संख्या 4A की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त बिन्दु में राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट निर्देशित है कि यदि पूर्व में किये गये करार में निर्धारित कार्यादेश की राशि को अवार्डर द्वारा बढ़ाया जाता है या पूर्व में किये गये कार्य संविदा करार की राशि के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान अवार्डर द्वारा किया जाता है तो उस संदर्भ में पूर्व में किये गये कार्यादेश के लिय कर मुक्ति प्रमाण पत्र उसी दर से जारी किया जायेगा जैसा कि पूर्व में कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है । इस संबंध में उक्त शर्त संख्या 4A इस प्रकार है:–

4A. that where anyu excess payment is made to the contractor by the awarder or any additional work or value of the contract is enhanced in relation to the works contract for which Exemtion Certificate has already been issued, the Exemption Certificate shall revised accordingly.

6. राजस्व की ओर से बहस करते हुए विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी का संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 4 में आने के कारण व्यवहारी पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता होने से निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति शुल्क जारी किये गये हैं। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी द्वारा प्राप्त संविदा कार्य की प्राप्तियों हेतु पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 व दिनांक 26.03.2012 के आलोक में, ई.सी. फीस की पुनः गणना करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रकरणों को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व की अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । हस्तगत प्रकरण में निर्णय से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 व अधिसूचना संख्या एफ. 12(15)एफडी/टैक्स/2012–114 दिनांक 26.03.2012 का अध्ययन करने के पश्चात अब हस्तगत प्रकरण में जो बिन्दु विवादित है वह यह कि क्या अपीलार्थी व्यवहारी व अवार्डर के मध्य निष्पादित करार दिनांक 14.11.2007 के

कम में निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आलोक में जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र को अपीलार्थी व्यवहारी व अवार्डर के मध्य निष्पादित पूरक/विस्तार करार के कम में निर्धारण अधिकारी द्वारा 11.08.2006 के आलोक में, कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिये था ? अथवा अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में 3 प्रतिशत की दर से जारी कर मुक्ति प्रमाण पत्र उचित है ? इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 का अवलोकन किया गया जिसको राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना को दिनांक 01.04.2012 प्रभावी होना निर्देशित किया गया है। जहां तक प्रशमन की संगणना का प्रश्न है, उक्त तथ्य इस पर निर्भर करता है कि व्यवहारी द्वारा संपत्ति का माल के रूप में जो हस्तांतरण दिनांक 01.04.2012 से पूर्व किया गया है वह 1.50 प्रतिशत की दर से तथा दिनांक 01.04.2012 से किया गया संपत्ति का हस्तांतरण अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में, 3 प्रतिशत की दर से आच्छादित होगा। इस संबंध में पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रनिंग बिल दिनांक 19.03.2012 भी संलग्न है जिसमें दिनांक 14.03.2012 तक उसके द्वारा अवार्डर से प्राप्त कार्यादेश के संबंध प्राप्त की गयी राशि का ब्यौरा है परन्तु उक्त में कांट छांट की गयी है । अतः ऊपर वर्णित तथ्यात्मक स्थिति व प्रस्तुत रनिंग बिल के जरिये अपीलार्थी द्वारा कार्य संविदा के तहत् प्राप्त की गयी राशि की जांच हेतु प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि इस संबंध में जांच उपरांत यह निश्चित करें कि यदि अपीलार्थी व्यवहारी व अवार्डर के मध्य हुये करार के तहत् सम्पति का हस्तांतरण दिनांक 01.04.2012 से पूर्व किया गया है तो अपीलार्थी व्यवहारी को कर मुक्ति प्रमाण पत्र 1.5 प्रतिशत की दर से जारी किया जाये एवम् यदि दिनांक 01.04.2012 के पश्चात् सम्पति का हस्तांतरण किया गया है तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आलोक में 3 प्रतिशत की दर से किया जाये। फलस्वरूप, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रकरण उपर्युक्तानुसार निर्धारण अधिकारी को जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

8. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।

3.9.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
सदस्य